

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 320/एफ 2013-01-00099/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010.

वर्तमान में कर्तव्य से अधिकतम अनुपस्थिति अवधि हेतु विभिन्न नियमों में निमानुसार प्रावधान है:-

- मूलभूत नियम-18 :** जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विनिश्चित न करे, किसी भी शासकीय सेवक को लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- अवकाश नियम-11 :** शासकीय सेवक को पांच वर्षों से अधिक निरंतर अवधि का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
- आचरण नियम-7 :** कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा, परंतु आपाती दशा में अवकाश स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे पहले ही उठाये गये अवकाश को, भूतलक्षी स्वीकृति दे सकेगा ।

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि इन नियमों के अनुसार कर्तव्य से अधिकतम अनुपस्थिति की अवधि पांच वर्ष हो सकती है, इससे अधिक अनुपस्थिति हेतु राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होगी । राज्यपाल का अधिकार मंत्रि-परिषद् को प्रत्यायोजित है। शासन के निर्देश है कि एक माह से अधिक अवधि के अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में तत्परता से विभागीय कार्यवाही की जाये और उचित दंड अधिरोपित किया जाये ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि अनुपस्थिति अवधि के निराकरण हेतु वित्त विभाग को प्राप्त अनेकों प्रकरणों में शासकीय सेवक लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने के पश्चात् सेवा में लौटता है, किन्तु उसके विरुद्ध विभाग द्वारा अनुपस्थिति अवधि में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप उन्हें सेवा में पुनः लिये जाने की बाध्यता हो जाती है। इन प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाए :-

कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करे:


परन्तु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

3/ समस्त विभागों से अनुरोध है कि एक माह से अधिक अवधि के अनाधिकृत अनुपस्थिति के समस्त प्रकरणों में उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

4/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 में संशोधन की अधिसूचना संलग्न है। यह संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तिथि (1 अगस्त, 2013) से प्रभावशील होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (राजपत्र)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 321/एफ 2013-01-00099/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

क्रमांक एफ 2013-01-00099/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-


नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“11. कर्तव्य से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि - (1) शासकीय सेवक को पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के, बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें:

परन्तु उप-नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

**Government of Chhattisgarh
Finance & Planning Department
Mantralaya,
Mahanadi Bhavan, Naya Raipur**

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated 01 August, 2013

No. F- 2013-01-00099/Rules/IV/2013 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely:-

AMENDMENT


In the said rules,-

For rule 11, the following shall be substituted, namely:-

- "11. **Maximum period of absence from duty-** (1) No Government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.
- (2) A Government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Government service unless the Governor, in view of the exceptional circumstances of the case, otherwise determines:

Provided that a reasonable opportunity shall be given to that Government servant to explain the reasons for such absence before the provisions of sub-rule (2) are invoked.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh



(S.K. Chakraborty)

Deputy Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Finance & Planning Department